छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

शिकायत प्रकरण क्रमांक 704/2006

श्री ए. एन. पाण्डेय, अध्यक्ष, स्वराज मजदूर यूनियन बाक्साइट खदान, सरगुजा, नमनाकला, खिजूरपथ, मिंज निवास, ट्रांसफर के समीप, अम्बिकापुर (छ.ग.)	....	आवेदक

विरूद्ध

1. जन सूचना अधिकारी, कार्यालय – कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवायें, संभाग कं. 1, अम्बिकापुर (छ.ग.)	....	अनावेदक
2. जन सूचना अधिकारी, कार्यालय – कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवायें, संभाग कं. 2, अम्बिकापुर (छ.ग.)	....	अनावेदक
3. जन सूचना अधिकारी, कार्यालय – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सरगुजा, अम्बिकापुर (छ.ग.)	....	अनावेदक
4. जन सूचना अधिकारी, कार्यालय – सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, अम्बिकापुर (छ.ग.)	....	अनावेदक
5. जन सूचना अधिकारी, कार्यालय – संचालक, पलक बायोटेक प्रा. लि. पंचवटी हाउस, शिकली रोड, बोधीपारा, अम्बिकापुर (छ.ग.)	....	अनावेदक

:: आदेश ::

(10 जनवरी 2007)

श्री ए.एन. पाण्डेय के द्वारा महामहिम राज्यपाल, छ.ग. को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी संभाग–1, कार्यपालन अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी, संभाग–2, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अम्बिकापुर, सहायक आयुक्त–आदिवासी विकास विभाग तथा संचालक पलक बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड से आवेदन पत्र देकर विभिन्न विषयों पर जानकारी मांगी थी। उनके द्वारा नियत अवधि में जानकारी नहीं दी गई। महामहिम राज्यपाल कार्यालय के द्वारा उपरोक्त आवेदन पत्र आयोग को प्रेषित किए गए।

2/ आवेदक के द्वारा उल्लेख किया गया कि उसके द्वारा कार्यपालन यंत्री, संभाग–1 अम्बिकापुर से आवेदन पत्र दिनांक 27.07.2006 के द्वारा जानकारी चाही गई कि वर्ष 2004–05 से 2006–07 तक किए गए संपूर्ण ह्यूम पाईप की मात्रा एवं साइज तथा किस–किस फर्म से क्रय किया गया, फर्म द्वारा प्रस्तुत बिल व्हाउचर की छायाप्रति मांगी गई। साथ ही उपसंभागवार अन्य विभागीय अधिकारियों के द्वारा ह्यम पाईप की मांग की प्रमाणित छायाप्रति एवं विभिन्न योजनाऐं किस विभाग द्वारा संचालित हैं, समस्त निर्माण कार्यो की मदवार सूची पत्र, निर्माण स्थल सहित पूर्णता प्रमाण पत्र की छायाप्रति, उपयोग किए गए एवं शेष ह्यम पाईप की जानकारी चाही थी। उक्त जानकारी के लिए दिनांक 14.08.2006 को कार्यपालन अभियंता ने रू. 906/– शुल्क जमा करने के लिए सूचित किया गया। उक्त राशि जमा करने के उपरांत भी उसे जानकारी प्राप्त नहीं हुई। जन सूचना अधिकारी, कार्यपालन अभियंता, संभाग–2 से आवेदक के द्वारा पत्र दिनांक 08.11.2005 एवं 29.12.2005 से वर्तमान में कराये जा रहे निर्माण कार्य की सूची की छायाप्रति, उपसंभाग कुसमी के अंतर्गत ग्राम पंचायत बादा में वर्ष 2003–04 में निर्मित किया गया स्टापडेम का इस्टीमेट, व्हाउचर सत्यापन एवं प्रथम सप्ताह की श्रमिक भुगतान की प्रमाणक की छायाप्रति, वर्ष 2003–04 में लडुवा भोजनामार्ग पर पाईप पुलिया निर्माण एवं अंतिम मूल्यांकन की छायाप्रति, वर्ष 2004–05 में ग्राम पंचायत खरकोना के ग्राम टिकनी में कराई गई तालाब निर्माण के इस्टीमेट एवं भुगतान की छायाप्रति चाही जो कि प्राप्त नहीं हुई। इसी प्रकार आवेदक ने जन सूचना अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कार्यालय अम्बिकापुर से वर्ष 2005 जनपद पंचायत के अंतर्गत भर्ती किए गए शिक्षाकर्मियों/संविदा शिक्षाकर्मियों की वरिष्ठता सूची की छायाप्रति मांगी। जन सूचना अधिकारी, जिला पंचायत के द्वारा आवेदक से पूछा गया कि किस प्रकार उक्त जानकारी जनहित में उसे दिया जाना आवश्यक है। आवेदक द्वारा सूचना अधिकारी, सहायक आयुक्त कार्यालय–आदिवासी विकास अम्बिकापुर से भी वर्ष 2005–06 में शाला, छात्रावास एवं आश्रम संस्थाओं में क्रय की गई सामग्री की राशि, सामग्री क्रय की मात्रा, सामग्री किस संस्था/फर्म से क्रय की गई, सामग्री की जांच एवं सत्यापन किसके द्वारा किया गया तथा कितनी राशि का भुगतान किस–किस संस्था को दिया गया, आदि की जानकारी चाही। उक्त जानकारी के संबंध में संयोजक, सहायक आयुक्त के द्वारा पत्र दिनांक 23.05.2006 से सूचित किया गया कि उक्त जानकारी दिये जाने का प्रावधान नहीं है।

3/ आवेदक ने अनुदान प्राप्त संस्था पलक बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड से भी जानकारी मांगी जिसमें कि संस्था स्थापना, सदस्यगण, बजट एवं किये जा रहे कार्यो के बारे में जानकारी चाही। उक्त जानकारी उसे प्राप्त नहीं हुई।

4/ आयोग के द्वारा उक्त सभी जन सूचना अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए। आवेदक तथा संबंधित जन सूचना अधिकारियों को सुना गया तथा उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं अभिलेखों पर विचार किया गया। आवेदक का मुख्य तर्क यह है कि उसे संबंधित संस्थाओं के द्वारा निर्धारित अवधि में जानकारी नहीं दी गई। अतः इनके विरूद्ध कार्यवाही की जावे। अनावेदक क्रं. 1 कार्यपालन अभियंता के द्वारा अपने जवाब में बतलाया गया कि आवेदक को निर्धारित अवधि में ही अभिलेख शुल्क जमा करने के लिए लिखा गया था। आवेदक ने अभिलेख शुल्क जमा किया तथा आवेदक को सूचित

किया गया कि वे कार्यालय में उपस्थित होकर जानकारी ले लें किन्तु आवेदक उपस्थित नहीं हुए। कार्यपालन यंत्री संभाग क्रं.–2 के द्वारा बतलाया गया कि जानकारी काफी विस्तृत थी। उपसंभागों तथा सब इंजीनियरों से जानकारी प्राप्त करनी थी। जानकारी विस्तृत होने से तैयार करने में समय लगा। जानकारी तैयार हो चुकी है तथा आवेदक को दी जा सकती है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के द्वारा भी बतलाया गया कि पूर्व में जनहित में आवश्यक न समझने के कारण जानकारी नहीं दी गई थी, जानकारी दिए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। सहायक आयुक्त, आदिवासी विभाग के द्वारा दिनांक 29.12.2006 को आवेदक के द्वारा वांछित जानकारी प्रदान कर दी गई है। पलक बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से बतलाया गया कि उन्हें शासन से अनुदान प्राप्त हुआ है तथा वे भी जानकारी देने के लिए सहमत हैं। पूर्व में यह भ्रम था कि सूचना का अधिकार अधिनियम उक्त संस्था पर प्रभावशील है या नहीं, इसलिए जानकारी नहीं दी गई।

5/ उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि उपरोक्त सभी जन सूचना अधिकारी आवेदक को जानकारी देने के लिए सहमत हैं। आवेदक के द्वारा कार्यपालन यंत्री संभाग–1 एवं 2 के अंतर्गत किए जा रहे निर्माण कार्यो से संबंधित विस्तृत जानकारी चाही थी, उक्त जानकारी एकत्रित करने में समय लगा। कार्यपालन यंत्री संभाग–1 के द्वारा अभिलेख शुल्क जमा कराने के उपरांत आवेदक को जानकारी लेने के लिए सूचित भी किया गया किन्तु आवेदक उपस्थित नहीं हुआ। आवेदक ने यह आरोप लगाया है कि उक्त कार्यालय के द्वारा उन्हें गुमराह किया गया। जन सूचना अधिकारी, कार्यपालन अभियंता के द्वारा जानकारी तैयार भी कर ली गई तथा आवेदक को तैयार जानकारी लेने के लिए पत्र भी भेजा गया, तब गुमराह करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यंत्री सेवा, संभाग–1 को निर्देशित किया जाता है कि वे आवेदक को पत्र के द्वारा उसके निर्धारित पते पर तैयार की गई जानकारी भेजें। कार्यपालन यंत्री संभाग–2 को भी निर्देशित किया जाता है कि वे आवेदक को उसके निर्धारित पते पर तैयार की गई जानकारी निःशुल्क प्रेषित करें। जन सूचना अधिकारी, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग के द्वारा आवेदक को जानकारी प्रदान कर दी गई है। जन सूचना अधिकारी, जिला पंचायत को निर्देशित किया जाता है कि आवेदक के द्वारा मांगी गई शिक्षाकर्मियों/संविदा कर्मियों की वरिष्ठता सूची 15 दिन के अंदर निःशुल्क आवेदक को प्रेषित की जावे। संचालक, पलक बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड को निर्देशित किया जाता है कि वे चूंकि अनुदान प्राप्त संस्था है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–2 (एच)(II) के अंतर्गत लोक प्राधिकारी की परिभाषा के अंतर्गत आता है। अतः निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्त होने के 10 दिन के अंदर जन सूचना अधिकारी नियुक्त करें। आवेदक को भी निर्देश दिए जाते हैं कि वे नियमानुसार जन सूचना अधिकारी, पलक बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड को आवेदन दें। संबंधित संस्था के जन सूचना अधिकारी नियमानुसार अभिलेख शुल्क लेकर आवेदक को 30 दिन के अंदर जानकारी प्रदान करें।

6/ उपरोक्त संस्थाओं के द्वारा जानकारी देने से इंकार नहीं किया गया है और न ही जानकारी समय पर न देने का कारण व्यक्तिगत द्वेष एवं दुर्भावना है। चूंकि अनावेदकों के द्वारा जानबूझकर विलंब से जानकारी नहीं दिए जाने का आरोप सिद्ध नहीं है, अतः अनावेदकों पर अर्थदण्ड आरोपित किये जाने का औचित्य नहीं है।

अनावेदकों को भविष्य के लिए चेतावनी दी जाती है कि वे सूचना का अधिकार अधिनियम का कियान्वयन गंभीरतापूर्वक करें।

7/ उक्त निर्देशों के साथ इस प्रकरण का निराकरण किया जाता है।

हस्ता0/– 10–01–2007
(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त